झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 02 राँची, सोमवार, 1 जनवरी, 2024 (ई०)

म्ंत्रिमंडलसचिवालय एवं निगरानी विभाग

(नागर विमानन प्रभाग)

अधिसूचना

1 जनवरी, 2024

संख्या-परिसम्पत्ति-04/2023-JFI--राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-785, दिनांक-02.11.2022 के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखंड के अंतर्गत वैमानिक परिचालन एवं विमानन संबंधित प्रशिक्षण के सुगम संचालन हेतु सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत Jharkhand Flying Institute नामक समिति का गठन (निबंधन संख्या-23/2023-2024) किया गया है।

2. Jharkhand Flying Institute सोसाईटी के संचालन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-568, दिनांक-10.08.2023 के माध्यम से Governing Council तथा General Executive Body का गठन किया गया है।

3. Governing Council की दिनांक-01.09.2023 को संपन्न बैठक में उड़ान प्रशिक्षण से संबंधित सभी विमानों व प्रशिक्षण संस्थानों (राँची, दुमका, गिरिडीह एवं धनबाद) तथा राज्य में अवस्थित सभी

हेलिपैडों व हवाई पट्टियों की समस्त परिसम्पत्तियों को Jharkhand Flying Institute के पक्ष में हस्तातंरित करने पर सरकार की अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

4. उक्त के आलोक में नागर विमानन प्रभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखंड सरकार की निम्नांकित परिसम्पत्तियों को Jharkhand Flying Institute सोसाईटी के पक्ष में हस्तातंरित किया जाता है-
   - i. Zlin एकल ईंजन विमान - 03
   - ii. Motor Glider एकल ईंजन विमान - 02
   - iii. Motor Glider एकल ईंजन विमान (Aero Club of India द्वारा प्रदत्त) - 01
   - iv. Winch Launching Machine (ग्लाईडर विमान परिचालन हेतु) - 02
   - v. दुमका, धनबाद, गिरिडीह व डाल्टेनगंज (प्रस्तावित) की हवाई पट्टियाँ एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा उनपर उपलब्ध संसाधन व उपस्कर।
   - vi. राजकीय हैंगर, राँची तथा इसमें उपलब्ध कार्यालय उपस्कर व अन्य संसाधन।
   - vii. एयरोमॉडलिंग प्रशिक्षण अनुभाग की परिसम्पत्ति एवं संसाधन।
   - viii. मलूटी हेलिपैड तथा वहाँ उपलब्ध संसाधन।
   - ix. देवघर एयरपोर्ट/हेलिपैड की आधारभूत संरचना।
   - x. चार्टर एयर एम्बूलेन्स का संचालन।
5. उपर्युक्त सभी परिसम्पत्तियों पर नागर विमानन प्रभाग का ही स्वामित्व रहेगा, Jharkhand Flying Institute सोसाईटी इनके रख-रखाव, दिनों-दैनिक कार्य एवं सुरक्षित संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। परिसम्पत्तियों को आवश्यकतानुसार वापस लेने हेतु नागर विमानन प्रभाग स्वंतत्र होगा।
6. परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।
7. उड़ान प्रशिक्षण, प्रशिक्षण विमानों का संधारण, अनुरक्षण व संचालन से संबंधित समस्त कार्यो का संपादन/निष्पादन Jharkhand Flying Institute सोसाईटी के माध्यम से किया जायेगा।
8. उपर्युक्त कंडिका-4 में उल्लेखित कार्यो के निमित्त राशि का व्यय नागर विमानन प्रभाग के संबंधित बजटीय शीर्ष में उपबंधित/आवंटित अथवा Corpus Fund से किया जायेगा।
9. अधिसूचना प्रारूप की विधिक्षा विधि विभाग द्वारा कर दी गई है।
10. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त मानी जायेगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वन्दना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 02 - 50